न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2017

अपीलाण्ट

1 भरत पुत्र मिश्रीमल

2 गोपाल पुत्र मिश्रीमल जातिगपा सरगरा निवासीगण अगवरी तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 मोपसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति पुरोहित निवासी अगवरी तहसील आहोर जिला जालोर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.12.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 340/2015 मोपसिंह बनाम भरत वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा अगवरी के खसरा नम्बर 251 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 646/252 में से 15 फीट रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू0अ0नि0 से रिपोर्ट तलब की गई। भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु लघुतम मार्ग अपीलाण्ट की भूमि में से होकर दिया जाना प्रस्तावित किया, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार से साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 340 वर्गमीटर की भूमि रास्ते के रूप में घोषित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को प्रकरण में न तो पक्षकार बनाया गया तथा न ही किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर दिया गया। बिना सुनवाई का अवसर दिये, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील आदेश पारित किया है। जब अपीलाण्ट की भूमि में से रेस्पोडेन्ट ने रास्ता चाहा ही नही, तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया तथा उक्त आदेश के जरिये अपीलाण्ट की भूमि को दो भागों में बांट दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी करना एवं चस्पा करना बताया, जबकि न तो नोटिस जारी किया गया एवं न ही चस्पा किया गया। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी ही नही थी। अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा अगवरी के खसरा नम्बर 251 की भूमि में आवागमन हेतु अमाराम पुत्र वेनाराम कौम मेणा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 646/252 में से रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक हरजी से मौका जांच रिपोर्ट तजलब की, जो भू अभिलेख निरीक्षक हरजी द्वारा दिनांक 06.01.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि खसरा नम्बर 250 व 251 मोपसिंह पुत्र शिवनाथसिंह की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 250 के नजदीक खसरा नम्बर 259 है, जिसके खातेदार भरत, गोपाल पि0 मिश्रीमल सारगडा है। उक्त रास्ता अगर खसरा नम्बर 249 में से दिया जाए, तो रास्ते की चौडाई 9 मीटर व लम्बर 68 मीटर के अनुसार 612 वर्गमीटर होगी, जो लघुतम है। इस रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट भरत एवं गोपाल को नोटिस जारी कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर ही नही है तथा न ही आदेशिका में इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, अपीलाण्ट भरत एवं गोपाल को पक्षकार संयोजित करने तथा उन्हे जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये गये है। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं नियमों की अवहेलना करते हुए कारित की गई तथा बिना किसी आदेश के एक अजनबी व्यक्ति को तथाकथित पक्षकार मानते हुए नोटिस जारी किये गये, जो प्रथम बार में ही चस्पा किये गये है। इस चस्पांनगी को पर्याप्त तामील मानते हुए अपीलाण्ट्स अर्थात जैर अपील प्रकरण में तथाकथित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया, जिसे किसी भी स्थिति में कायम रखना उचित नही है। जैर अपील प्रकरण में नियमों एवं कानूनों की निरन्तर अवहेलना की गई है। प्रथमतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को न तो प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया तथा न ही अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता चाहा। द्वितीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 01.08.2016 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसका इन्द्राज अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में नही किया गया, इस अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिया हुआ नही माना जा सकता। इसके पश्चात बिना किसी आदेश के अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी किये गये, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक नियमों के विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए किसी व्यक्ति को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया जाता, तब तक वह व्यक्ति Stranger person की श्रेणी में रहता है। इस प्रकार एक Stranger person को पक्षकार की हैसियत से अनुचित रूप से नोटिस जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की जो प्रक्रिया विहित है, उन प्रक्रियाओं की किसी भी रूप में पालना नही की गई तथा अनुचित प्रक्रिया के आधार पर जारी नोटिस को चस्पांदगी के आधार पर तामील मानते हुए अपीलाण्ट्स/ तथाकथित अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायाचित नही माना जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी हितबद्ध पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार का आदेश किया जाना न्यायोचित नही है तथा इस प्रकार के आदेश को कायम रखना उचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 340/2015 मोपसिंह बनाम भरत वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु निकटतम मार्ग, आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर